IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# पंचायतीराज व्यवस्था में महिला भागीदारी : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

**सोहनलाल**
सह अचार्य राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर

**शोध सार**

नारी सशक्तीकरण के लिए ऐसा प्रजातंत्र अपनाया जाये जो मानवीय समानता न्याय के सिद्धांत को आत्मसात करने की सम्पूर्ण संभावनाओं से युक्त हो। सहस्त्रों वर्षों से शोषित नारी की अनेकानेक समस्याओं का समाधान अध्यादेश जारी कर देने मात्र से भले ही सामाजिक जीवन में स्वीकृत न होता हो किन्तु एक प्रक्रिया का आरंभ अवश्य कर देता है जो राजनैतिक सत्ता में भागीदारी और राजनैतिक गलियारों में आवाजाही से ही महिलाओं के वास्तविक बंधक ढ़ीले होंगे, प्रतिबन्ध हटेंगे और महिलायें पुरुष के बराबर खड़ी हो सकेगी।

नारी सशक्तिकरण का प्रश्न इतना जटिल है कि मात्र संवैधानिक प्रावधानों से एवं राजनीतिक घोषणाओं की अपेक्षा सामाजिक व वैयक्तिक सोच एवं समझ को बदलने की समाजव्यापी दीर्घकालीन प्रक्रिया एवं प्रयासों द्वारा ही निदान की ओर अग्रसर हो सकता है। इसको शब्दों की श्रद्धांजलि अर्पित करने से फर्क नहीं पड़ता है। अपितु जरूरत है तो पुरानी मानसिकता एवं सोच बदलने की। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर नेहरू ने प्रथम लोकसभा चुनाव जिसमें मात्र 14 महिलाएँ ही निर्वाचित हुई थी पर खेद प्रकट करते हुये कहा ''मुझे अफसोस है कि इतनी कम महिलायें चुनाव जीती है। इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है..... हमारे कानून, हमारे समाज में सब जगह पुरुषों का वर्चस्व है और हम सबका इसको लेकर एक तरफा रवैया है..... लेकिन अंत में महिलायें ही भारत के भविष्य की निर्मात्री होगी।''

**शब्द कुंजी** : आर्थिक सामाजिक समस्याएं, पुरूष वर्चस्व, प्रशिक्षण, सक्रिय सहभागिता, मानवीय गरिमा, तपेश्वरी से राजेश्वरी।

## शोध आलेख

मानव समाज के विकास की कहानी सबल द्वारा निर्बल का दमन दोहन से भरी हुई है। किन्तु सभ्यता एक हद तक मानव स्वभाव में निहीत कतिपय सर्वाधिक स्वार्थी मनोविकारों को समाज द्वारा नियंत्रित करने की सामर्थ्य का मे परिणाम है और किसी सभ्यता की आत्मा को समझने, उनकी कमियों को भांपने तथा उपलब्धियों को सराहने का एक कारगर उपकरण उसमें महिलाओं की स्थिति के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन है।

भारतीय समाज की आरंभिक संरचना में महिला की भूमिका अपेक्षाकृत बराबरी की दिखाई देती है। किन्तु कालान्तर में जटिल होती समाज व्यवस्था के पितृसत्तात्मक स्वरूप में नारी की स्थिति में अधोगामी परिवर्तन की चिरंतन प्रक्रिया दिखाई देती है। यदि वर्तमान को अतीत की आँख से देखने की दृष्टि न्यायपरक, प्रजातांत्रिक, समतामूलक मूल्य

से युक्त होगी तो हम अतीत के प्रकाश में स्वस्थ एवं उन्नतशील भविष्य के लिए वर्तमान में बदलाव हेतु क्रियाशील होंगे। किन्तु यदि हम वर्तमान से आँखे मूँद कर केवल अतीत को ही सर्वस्व, सर्वांगीण मानकर अतीत में ही जीने लगे तो भविष्य का निर्माण तो दूर, वर्तमान को भी जी नही पायेंगे, क्योंकि वही संस्कृति एवं सभ्यता जीवित, जीवन्त, चिरन्तन हो सकती है जो युगानुकूल मूल्य बोध एवं परिवर्तन को आत्मसात कर सकने की सामर्थ्य लिये हुये हो। इसी दृष्टि से अगर हम भारतीय महिला जगत का अध्ययन करें तो भारतीय सांस्कृतिक मापदण्ड दोहरे दिखाई देते हैं। जब देवीय संदर्भ आता है तो शक्ति के रूप में नारीत्व पूजित और उपासित होता है।

सभ्यताएं अपने समृद्ध स्वरूप में पैदा नहीं होती, शनैः शनैः विकसित होती है। सभ्यता के विकास क्रम के पायदान पर महिला सशक्तिकरण एक अगुनातन अवधारणा हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राजनीतिज्ञों का महिलाओं के प्रति व्यवहार से खिन्न होकर महात्मा गाँधी ने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा 'स्वराज्य की लड़ाई में कांग्रेसियों ने कभी यह महसूस नहीं किया कि महिलायें समान भागीदार बने। उन्होंने हमेशा स्वयं को भगवान और मालिक माना, उनके मित्र और साथी कार्यकर्ता होने की अपेक्षा।'

ब्रिटिशों द्वारा प्रस्तावित आरक्षण का महिलाओं द्वारा विरोध की प्रशंसा करते हुए नेहरू ने दिसम्बर 1936 में लिखा हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी महिलाओं ने विधान मंडलों में जो विशेष और आरक्षित प्रतिनिधित्व था, उसे नकार दिया। इस प्रवृत्ति की पूरे राष्ट्र द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि वे इसके लिए कष्ट न पाये। इसलिए यह आवश्यक है कि हमे महिला प्रत्याशियों के लिए जितनी संभव हो उतनी समान्य चुनाव क्षेत्रों से विशेष सीटें जो उनको दी गई है उसके अतिरिक्त देना चाहिए।'

गाँधी जी ने महिला की जिस सक्रिय सहभागिता की पहल की उसे समाज ने बिना किसी बहस मुबाहिसत के स्वीकार कर लिया। इस क्रम में भारतीय महिला संगठन निर्धारित दायरे में मताधिकार तथा 1935 के संविधान निर्वाचन में आरक्षण प्राप्त करने में सफल रहे। अपितु आजादी के पश्चात महिला प्रतिनिधित्व के प्रश्न को हाशिये पर धकेल दिया गया। संविधान निर्माताओं ने समरसता एवं शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से ही भारतीय संविधान में लैंगिक विभेदों को अस्वीकार करते हुए हत्री पुरुष समानता को संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कि हाए। स्वतंत्र भारत में महिलाओं को पुरूषों के समान सभी अधिकारों के उपभोग का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15. अनुच्छेद 15 (३) अनुच्छेद 16 (1), अनुच्छेद 16 (2), अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24) में प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन नामावली में महिला 1 एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 38 (1). अनुच्छेद 39 (क), अनुच्छेद 39 (ख), अनुच्छेद 39 (ग), अनुच्छेद 39 (घ). अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42) में महिला पुरूष के लिए समान व्यवस्था है।

अतः यह अनुभव किया गया कि मात्र संवैधानिक प्रावधानों से महिलाओं • की स्थिति में सार्थक परिवर्तन नहीं आ सकता जब तक उन्हें निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार न बनाया जाये। भारतीय महिला की स्थिति पर गठित समिति ने 1974 में अपनी रिपोर्ट शीर्षक Towards Equality (समानता की ओर) ऐसे ही तर्कों के आधार पर महिला आरक्षण की वकालत की और अफसोस जाहिर किया कि महिलाओं के हितों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हित समूहों से अलग नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक का तर्क भी इन पर लागू नहीं होता है और अंततः वे एक समुदाय नहीं वर्ग है।

एक ओर हम अपने आपको विश्व गुरू की उपाधि से धारित करते हुये विशाल सांस्कृतिक संवाहक कहलाते है। दूसरी ओर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का दम भरते है, पर यह कैसी विडम्बना है कि आजादी के बाद में आधी आबादी वास्तविक जनतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित रही है। प्रजातंत्र केवल नस्लों राष्ट्रों एवं वर्गों के मध्य न्याय एवं समता की स्थापना की ही मात्र अपेक्षा नहीं है, अपितु मूल विभाजन स्त्री–पुरुष के मध्य समानता की स्थापना की अपेक्षा करता है। यह लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल मात्र योजनायें एवं कार्यक्रम बनाने, अधिकार दिवस मनाने से कही अधिक आवश्यक है। ऐसा प्रजातंत्र अपनाया जाये जो मानवीय समानता न्याय के सिद्धांत को आत्मसात करने की सम्पूर्ण संभावनाओं से युक्त हो। सहस्त्रों वर्षों से शोषित नारी की अनेकानेक समस्याओं का समाधान अध्यादेश जारी कर देने मात्र से भले ही सामाजिक जीवन में स्वीकृत न होता हो किन्तु एक प्रक्रिया का आरंभ अवश्य कर देता है जो राजनैतिक सत्ता में भागीदारी और राजनैतिक गलियारों में आवाजाही से ही महिलाओं के वास्तविक बंधक ढ़ीले होंगे, प्रतिबन्ध हटेंगे और महिलायें पुरुष के बराबर खड़ी हो सकेगी।

नारी सशक्तिकरण का प्रश्न इतना जटिल है कि मात्र संवैधानिक प्रावधानों से एवं राजनीतिक घोषणाओं की अपेक्षा सामाजिक व वैयक्तिक सोच एवं समझ को बदलने की समाजव्यापी दीर्घकालीन प्रक्रिया एवं प्रयासों द्वारा ही निदान की ओर अग्रसर हो सकता है। इसको शब्दों की श्रद्धांजलि अर्पित करने से फर्क नहीं पड़ता है। अपितु जरूरत है तो पुरानी मानसिकता एवं सोच बदलने की। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर नेहरू ने प्रथम लोकसभा चुनाव जिसमें मात्र 14 महिलाएँ ही निर्वाचित हुई थी पर खेद प्रकट करते हुये कहा ''मुझे अफसोस है कि इतनी कम महिलायें चुनाव जीती है। इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है..... हमारे कानून, हमारे समाज में सब जगह पुरुषों का वर्चस्व है और हम सबका इसको लेकर एक तरफा रवैया है..... लेकिन अंत में महिलायें ही भारत के भविष्य की निर्मात्री होगी।''

किसी युग में नारी विहीन समाज की कल्पना कोई पुरुष कर ही नहीं सकता और नारी के अस्तित्व के साथ–साथ उसके सह–विकास की भी बावश्यकता है। इसके लिए आवश्यक था कि व्यवस्था में वैचारिक बदलाव लाया जाये। संविधान में अपेक्षित संशोधन किया जाये। महिला आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में की जाये। इससे संविधान निर्माताओं को जो कार्य संविधान निर्माण के समय करना चाहिए था वह सम्पन्न हो जायेगा। राज्य सरकारों का राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों के अभाव के चलते पंचायती राज संस्थायें नखदंत विहीन हो गई थी। पंचायतों में समग्र जनता की सक्रिय सहभागिता, अधिकार सम्पन्न करने एवं उनमे ऊर्जा का संचार करने के लिए एक संवैधानिक आधार पर जरूरी था। इसकी मांग जब तब उठती रहती श्री। वास्तव में इस 73वें संशोधन के पूर्व पंचायती राज संस्थायें अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही थी।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतीराज संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उन्हें ग्रामीण भारत को विकासमान बनाने का दायित्व सौंपा गया। 73वें पंचायती राज अधिनियम का महिलाओं के आरक्षण एवं निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधानों का महिला सशक्तीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। इसलिए 73वें संवैधानिक संशोधन का विश्लेषण समीचीन है।

**73 वें संवैधानिक संशोधन का विश्लेषण :–**

इस अधिनियम का सकारात्मक पक्ष निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर होता है–

1. इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करके अनौपचारिक रूप से पंचायत राज को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में माना है, जिसके कारण ये संस्थायें स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में विकसित हुई है।

2. अब तक ग्राम सभा प्रायः मृत अवस्था में रह रही थी। लेकिन इस अधिनियम के पश्चात ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाने से ग्राम पंचायत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के एक उपागम के रूप में विकसित किया गया है। अब ग्राम सभा को महत्वूपर्ण स्थान पंचायती राज संस्थाओं में प्राप्त हो गया है।

3. राज्य सरकारों के द्वारा अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के कारण पंचायती राज संस्थाओं को निलम्बन की अवस्था में रखा गया था। 1960 से लेकर 1994 तक के समय में मात्र 5 पंचायती चुनाव ही सम्पन्न हुये थे।

इनका नियमित चुनाव नहीं होता था। लेकिन इस अधिनियम के पारित हो जाने से 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही चुनाव की बाध्यता रखी गई है। बीच अवधि के भंग हो जाने पर 6 माह के अन्दर इनके चुनाव करवाना ताजिमी है, जिसमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी की भावना को बल मिला है। दे लालफीताशाही के चंगुल से मुक्त रहकर जन समस्याओं का समाधान कर पायेगी। निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं की जीवन्तता बनी रहेगी। निर्वाचित प्रतिनिधि उत्साह से लबरेज हो कार्य सम्पन्न कर सकेंगे।

4. भारत में अलग–अलग राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के विकास एवं क्रियान्वयन में विभिन्नता पाई जाती थी। लेकिन इस अधिनियम के ६ क्रियान्वित होने से पूरे देश में पंचायतों के संबंध में एकरूपता पाई जाती है।

5. अधिनियम से पूर्व प्रथम पंचायती चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा करवाये शेष चुनाव निर्वाचन विभाग द्वारा करवाये गये। इस प्रकार स्वतंत्रयौसर काल में 1947–1995 की 48 वर्ष की अवधि में मात्र 5 पंचायती चुनाव ही सम्पन्न हो पाये. जिसमें समाज के कमजोर तबको एवं महिला की सहभागिता का प्रतिशत नगण्य सा है। लेकिन इस अधिनियम के राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के प्रावधान से न केवल पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव हुये है अपितु चुनाव निष्पक्षता से सम्पन्न करवाये गये है।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए कुल जनसंख्या में उनके अनुपात में स्थान आरक्षण की व्यवस्था है। इससे वे लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाये, जो आज तक किसी कानून या आंदालन से संभव नहीं हो पाया है। 73वें पंचायतीराज अधिनियम 1992 के लागू होने से 7.95 लाख महिलायें पंचायतीराज संस्थाओं की त्रिस्तरीय संरचना में सत्ता में आई।

निकाय के नये अवसर प्राप्त होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि राजनैतिक दल एवं सामाजिक शक्तियों में आम सहमति हो। लोकतंत्र के प्रति सतत जागरूकता रखते हुए इस अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय के कार्य को पूरा करे। किसी कानूनी. राजनैतिक और आर्थिक अधिकार का मिलना तभी सार्थक हो सकता है, जब उसे सामाजिक स्वीकृति भी मिले।

निष्कर्षतः यही कह पायेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन अधिनियम को स्वीकार किये जाने पर कुछ न्यूनताओं एवं व्याधियों के बावजूद पंचायतीराज संस्थान के जीवन और कार्यप्रणाली में एक नया अध्याय अवश्य जुड़ जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि राजनैतिक दल एवं प्रबंद्ध वर्ग आम सहमति हो, लोकतंत्र के प्रति सतत जागरूकता रखते हुए इस अधिनियम के भाव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के कार्य को पूरा किया जा सके। किसी कानूनी राजनैतिक और आर्थिक अधिकार का मिलना तब ही सार्थक हो सकता है जब उसे सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त हो।

इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, दायित्वों एवं अधिकारों में क्रांतिकारी प्रावधान बनाये गये है। पंचायतों को विभिन्न स्तरों पर शक्तियां एवं जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। संक्षेप में, कहा जा सकता है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निश्चित तौर पर समाज के पिछड़े (कमजोर वर्ग) वंचित वर्ग एवं सदियों से श्रापित महिला वर्ग लाभान्यित होंगे। उनकी सामाजिक परिस्थिति उच्च होगी। उनका सशक्तिकरण/सबलीकरण होगा। पैतृक व्यवस्था के पुराने बंधन, पुरूष प्रधान समाज, पिछड़ापन, आत्महीनता का भाव, पर्दा प्रथा से मुक्ति दिलाकर उसे तपेश्वरी (त्याग, बलिदान की मूर्ति) से राजेश्वरी (शिखर राजनीतिक नेतृत्व) की यात्रा करवायेगा।

**महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था (समतामूलक समाज की रचना की अभिनव पहल) :–**

इस अधिनियम द्वारा 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान से लाखों महिलाओं में राजनैतिक चेतना का शंखनाद हुआ। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 4 जून 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक करने के लिए संवैधानिक संशोधन किया जायेगा। राजस्थान पंचायती राज 1994 में द्वितीय संशोधन विधेयक 2008 दिसम्बर 2014 के द्वारा धारा 15 में संशोधन करते हुए राजस्थान में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिससे उत्साही होकर महिलाओं ने राजस्थान में आरक्षित स्थानों से ज्यादा स्थानों पर विजयश्री प्राप्त की। यह महिलाओं की राजनीति में सक्रियता को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक ठोस सकारात्मक पहल है लेकिन निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ाने से उनका सर्वांगीण सशक्तिकरण हो पाएगा ऐसा कतई नहीं है। बल्कि महती जरूरत यह है कि उनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाये जाए। उनकी उच्च आकांक्षाओं एवं भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें स्वतंत्र पहचान बनाने के अनुकूल अवसर मुहैया करवाये जाए, इन तमाम प्रयासों के सफल क्रियान्वयन से निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का वास्तविक सशक्तीकरण हो पाएगा।

**संदर्भ ग्रंथ सूची–**

1. डॉ. मैना निर्वाण, पंचायतीराज एवं महिला सशक्तिकरण, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2014
2. गौतम साधु, चन्द्रभूषण शर्मा, फैक्टर इन्टफयून्सिंग पार्टिशिपेशन इन पंचायतीराज इन्टीटयूशन, ए स्टडी ऑफ राजस्थान
3. विश्वनाथ गुप्ता, भारत में पंचायतीराज, सुरभि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
4. अभिषेक मेहता, पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती चुनौतियां, देशबंधु

5. सुभाष कश्यप, भारत का संवैधानिक विकास और स्वाधीनता संघर्ष, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, 1970

6. होशियार सिंह, द कन्सीट्यूशनल बेस फॉर पंचायतीराज इन इंडिया : द 73 एमेन्डमेंट एक्ट,एशियन सर्वे, वाल्यूम : 24, नं. 9, रिजेन्ट यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोर्निया, 1994

7. राज कुमार एंड प्रूथी (सम्पादक) इन्साइक्लोपीडिया ऑफ स्टेटस एंड एम्पॉवरमेन्ट वूमन इन इंडिया, वॉल्यूम 4, मंगलदीप, जयपुर, 1999

8. डी.पी शुक्ला, आर.पी तिवारी, भारतीय नारी वर्तमान समस्या और भावी समाधान, ए.पी.एच. दिल्ली, 1999

9. किरन सक्सेना, वुमन्स एंड पॉलिटिक्स, ग्यान पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000

10. वन्दना बंसल, पंचायतीराज में महिला भागीदारी, कल्पाज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2004

11. आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण– विमर्श एवं यथार्थ, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

12. डॉ. पूर्णमल, नवीन पंचायतीराज एवं महिला नेतृत्व पॉईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2009

13. डॉ. मधुर राठौड़, पंचायती राज ओर महिला विकास, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2003

14. सोहन लाल, 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : एक समीक्षात्मक अध्ययन, श्रीगंगानगर, 2015

15. रेणू शर्मा, पॉल्टिकल चेंज एंड स्टेटस ऑफ वुमन, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर।

16. डॉ. बसन्तीलाल बावेल, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनायें, जयपुर।

**लेख एवं पत्रिकायें**

1. योजना, 2000

2. भारत में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव : संगठन प्रक्रिया एवं सुधार, राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रतिवेदन, अजमेर, 21–22 जनवरी, 2006

3. डॉ. सुनील महावर, पंचायतीराज संस्थाओं में महिला नेतृत्व का जातिगत विश्लेषण

4. ''एसएस नाथावत, वेल्यू बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ (इंडियन जनरल ऑफ किलनिकल साइकोलॉजी) 24.02. 1997, पेज 101–102

5. डॉ. अनुपमा कौशिक, डॉ. गायत्री शेखावत, पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण : समस्यायें एवं संभावनायें

6. अमित कुमार, पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी– एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य– शोध आलेख

**रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन**

1. भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
2. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994
3. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996
4. रिपोर्ट ऑन राजस्थान पंचायतीराज चुनाव–2015, वाल्यूम–2 पंचायत समिति, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान, जयपुर
5. राजस्थान पंचायतीराज चुनाव रिपोर्टस

**वेबसाईटस**

1. www.drishtiias.com
2. www.india.gov.in